P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-III* November-2015

महिला साक्षरता के संदर्भ में छत्तीसगढ़

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापिका,
अर्थशास्त्र विभाग
ठाकुर छेदीलाल शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जाँजगीर

सारांश

छत्तीसगढ़ मूलतः कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। शिक्षा और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा के माध्यम से आधुनिकीकरण और विकास के लिए वांछित परिवर्तनों को लाया जा सकता है। साक्षरता सामाजिक क्राँति का सूत्रपात है, स्वावलंबन का मार्ग है, नए आर्थिक युग का आधार है। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, लिंगभेद की भावना को दूर करने तथा वैज्ञानिक अवधारणा की ओर बढ़ने के लिए महिला साक्षरता एक अनिवार्य शर्त है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार– ''एक राष्ट्र तभी विकसित कहलाता है जब उसकी जनता में विद्या और बुद्धिमत्ता का प्रसार अनुपात में बराबर हो।''

शिक्षा किसी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा एक महिला को असहाय व अबला की जगह सबल व सशक्त बनाती है। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है। बोस डी. के. (2003) द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई है कि महिला शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर पड़ता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है बल्कि उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक संबंध हैं।

मुख्य शब्द : महिला साक्षरता, साक्षरता में बाधाएँ, भावी रणनीतियाँ।

प्रस्तावना

महिला साक्षरता वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे ही देश और समाज आगे बढ़ सकता है। शिक्षा जीवन का दैदीप्यमान आलोक है। यह खुशहाल जीवनयात्रा का आनंदमय सोपान है, प्रगति और विकास का सत्मार्ग है। शिक्षा हमें स्वाभिमानी व स्वावलम्बी बनाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान चिन्तक तथा शिक्षाशास्त्री डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि– ''शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नही सकता।'' साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अत्यत आवश्यक है कि महिलाओं को साक्षर किया जाए, उन्हें शिक्षा से जाड़ा जाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पॅ0 जवाहर लाल नेहरू ने इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा था– ''एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है।''

शिक्षा विकसित समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। विश्व के लगभग सभी समाजों और सभी कालों में शिक्षा का महत्व एक समान बना रहा है। वस्तुतः उन्ही समाजों ने उल्लेखनीय प्रगति की है जहॉ शिक्षा का महत्व स्वीकार किया गया। जिन समाजों में शिक्षा का आलोक नहीं फला है वे कूप–मंडूक और अतीतजीवी बने रहे।

छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता की स्थिति

छत्तीसगढ़ की साक्षरता का प्रतिशत सदैव राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की साक्षरता दर 1951 में 2.66 प्रतिशत थी, पुरूषों की 16.25 प्रतिशत तथा कुल साक्षरता 9.41 प्रतिशत थी। 2011 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की 71.04 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है जिसमें महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 60.59 है जो पुरूषों की तुलना में (81.45 प्रतिशत) अभी भी काफी कम है। महिला साक्षरता दुर्ग में सबसे अधिक 70.51 प्रतिशत, है तथा सबसे कम बोजापुर (31.56 प्रतिशत) में है। ग्रामीण साक्षरता 66.76 प्रतिशत, शहरी साक्षरता 84.79 प्रतिशत है। साक्षरता के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का स्थान केवल राज्यों में 20वॉ तथा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों (कुल 35) में 27 वॉ है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता धमतरी (76.57 प्रतिशत) तथा न्यूनतम बीजापुर (17.07 प्रतिशत) है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कोरबा (87.77 प्रतिशत) न्यूनतम बीजापुर (74.99 प्रतिशत) में है। कुल साक्षरता के दृष्टिकोण से अधिकतम दुर्ग (79.69 प्रतिशत) तथा न्यूनतम बीजापुर (41.58 प्रतिशत) है।

तालिका क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	कुल	पुरूष	महिला
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	54.13	39.29
2001	65.38	75.85	54.16
2011	74.04	82.14	65.46

स्त्रोत – सामान्य अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था तालिका से स्पष्ट है कि पुरूष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता दर में कम वृद्धि हुई है।

महिला साक्षरता में बाधाएं

महिला साक्षरता के विकास में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक परिस्थितियाँ है जिनके अंतर्गत लोगो की परम्परागत व रूढ़िवादी मानसिकता, महिला शिक्षा को अनावश्यक मानती है। लडकियों का पराया धन समझने की सोच महिला शिक्षा पर निवेश को आर्थिक तौर पर बोझ मानती हैं समाज में जारी दहेज की कुप्रथा भी महिला साक्षरता की राह में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि लोगों की मानसिकता यह होती है कि लड़की जितनी अधिक पढ़ी लिखी होगी, उसकी शादी में उतना ही अधिक दहेज देना होगा। समाज के अनेक भागों में जारी बाल विवाह की कुप्रथा भी महिला साक्षरता की दर को कम करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। साथ ही भारतीय परिवारों का आंतरिक परिवेश तथा लड़कियों पर प्रारंभ से ही घरेलू दायित्वों का बोझ भो उन्हे पढ़ने के प्रति हतोत्साहित करता है। लड़कियों की सुरक्षा पर अभिभावकों की सोच भी लड़कियों को शिक्षा के लिए घर से दूर जाने के लिए हतोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कारण भी है जो महिला साक्षरता की राह में अवरोधक का कार्य करते है, जिनमें लड़कियों का शिक्षा के लिए प्रेरणा का अभाव, परम्परागत रीति–रिवाज, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन, लड़कियों की श्रम में भागीदारी प्रमुख है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों के उत्तरोत्तर बढ़ते पलायन का महिलाओं की साक्षरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पुरूषों के पलायन के कारण महिलाओं को एक साथ दो महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाना पड़ता है, जिससे स्कूली शिक्षा की उपेक्षा होने लगती है। विभिन्न विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी, स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी महिला साक्षरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

महिला साक्षरता के लिए किए गए प्रयास

लड़कियों की शिक्षा के संबंध में यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित अंतराष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए है –

1. 2015 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिसमें विशेष तौर पर लड़कियों, गरीब बच्चों और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का लक्ष्य है।
2. 2015 तक शिक्षा में लिंग समानता लाने का लक्ष्य है।

70 के दशक में यह दृष्टिकोण बना कि अगर ग्रामीण महिलाएं साक्षर होगी तो शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण से देश का विकास होगा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी महिला साक्षरता पर जोर दिया। 1988 में संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरूआत हुई।

राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (2004) का उद्देश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रारभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना है महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं को समानता के लिए शिक्षा) ग्रामीण क्षेत्रो की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

1. **हम होगें पांचवी पास परियोजना**– समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के शिक्षा से वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
2. **साक्षर भारत कार्यक्रम**– इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाकर उन्हे समतुल्यता के माध्यम से शिक्षा को मुख्य धारा में लाना ह। इसके अतिरिक्त छात्र दुर्घटना बीमा योजना, सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना, पुस्तकालय योजना, व्यवसायिक शिक्षा योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल योजना मुख्य है।
3. **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय**– कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य दूरस्थ अंचलों में बालिकाओं के लिए सर्वसुविधायुक्त आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना है।
4. **छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना**– इसका उद्देश्य बालिकाओं में कम्प्यूटर साक्षरता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रोत्साहित करना है।
5. नवोदय विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में एक तिहाई लड़कियाँ हो।
6. 15 अगस्त 1995 को मध्यान्ह भोजन योजना का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चो की उपस्थिति बढ़ाना तथा बच्चो को पोषक आहार उपलब्ध कराना है।
7. स्कूलो में बालिकाओं के नामांकन और उन्हे बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर 1997 को बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार में 15 अगस्त 1997 या उसके पश्चात् पैदा होने वाली बालिकाओं के माताओं को बालिका के स्कूल जाने पर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 500 रू का अनुदान दिया जाता है।
8. सरकार ने विमेन्स इन्टिग्रेटेड लर्निंग फार लाईफ योजना भी चलाई है। इसका उद्देश्य लड़कियों को साक्षर बनाना, नवसाक्षर महिलाओं की शिक्षा के प्रति रूचि बनाए रखने के लिए वाचनालय खोलना, बच्चो

के समुचित विकास में महिलाओं की जानकारी बढ़ाना है।

9. सभी बच्चो को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक की संतोषजनक निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अहम् उद्देश्य को लेकर 2001 में सर्वशिक्षा अभियान की घोषणा की गई जिसे 2002 में संचालित किया गया।
10. दत्तकपुत्री शिक्षा योजना के अंतर्गत निर्धन बालिकाओं को गोद लेकर उन्हे प्रवेश कराया जाता है उन्हे वर्ष भर के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जाता है।

भावी रणनीतियाँ

यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी देश तथा समाज के समग्र विकास के लिए पूर्ण महिला साक्षरता अनिवार्य शर्त है। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है–

जनता में चेतना का प्रसार करने एवं बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम को साकार करवाने में स्थानीय समाज सुधारक तथा स्वयं सेवी संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्तमान में महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाएं कार्यरत है लेकिन वे अपर्याप्त है ओर उनमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। महिला शिक्षा के लिए आवश्यक है कि स्कूलों की भौगोलिक दूरी को कम से कम किया जाए। ग्रामीण क्षेंत्रों के सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का होना अति आवश्यक है, जिससे शिक्षा के प्रति रूचि में वृद्धि हो।

महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक पिछड़ापन तथा निर्धनता है। अतः सरकार को पिछड़े तथा कमजोर वर्गो मे बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। उच्च महिला साक्षरता दर के लिए आवश्यक है कि देश में अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम को कड़ाई से लागू किया जाए। विद्यालयों में रिक्त पदों पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति अतिशीघ्र करनी चाहिए। 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

महिला साक्षरता के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाएं अपना विशेष योगदान दे सकती है।

महिला शिक्षा के पाठयक्रम पर भी विस्तार से विचार किया जाना अपेक्षित है। महिला शिक्षा में सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त गृह कार्य, साज–सज्जा, बालकों के स्वास्थ्य आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा को भी विशेष स्थान देना चाहिए।

जो लड़कियाँ औपचारिक स्कूलो में न जाने की स्थिति में हो उनकी पढ़ाई को वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सायंकालीन, रात्रिकालीन तथा अवकाशकालीन विद्यालय इसमें सहायक हो सकते है। मध्यान्ह भोजन योजना को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाना होगा। यह योजना उन लडकियों को अधिक आकर्षित करेगी जिनके परिवारों में रोटी की व्यवस्था करना प्राथमिक लक्ष्य होता है। माता–पिताओं को लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण समाप्त करना होगा।

निष्कर्ष

मानवीय व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। नवीन पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान की गई है। महिलाएं इन जिम्मेदारियों को तभी ठीक से निभा सकती है, जब वे पर्याप्त, प्रबुद्ध तथा शिक्षित हो। इसलिए महिला साक्षरता वर्तमान संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो गई है। प्रदेश और समाज की उन्नति के लिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा। जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत हो, चहुँमुखी समृद्धि व खुशहाली आ सके। साक्षर नारी, घर ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का सम्मान है।

आशा है कि उक्त सुझावों से महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से उत्तरोत्तर निखरेगा एवं महिला शिक्षा को सही दिशा मिलेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सामान्य अध्ययन– भारतीय अर्थव्यवस्था।
2. छत्तीसगढ़– सामान्य अध्ययन– डी.सी. पटेल, मुस्कान पब्लिकेशन्स, बिलासपुर।
3. कुरूक्षेत्र– सितम्बर 1998, दिसम्बर 2000, सितम्बर 2002, सितम्बर 03, सितम्बर 04, सितम्बर 05, सितम्बर 06, नवम्बर 06, सितम्बर 07, सितम्बर 08, सितम्बर 10, मई 11, सितम्बर 11।
4. योजना– सितम्बर 2002, फरवरी 03, सितम्बर 04, सितम्बर 05, नवम्बर 06, सितम्बर 2009, मार्च 10, सितम्बर 09, जून 10।
5. समाज कल्याण पत्रिका– मार्च 04, सितम्बर 05, दिसम्बर 08, अगस्त 11।
6. प्रतियोगिता दर्पण– अप्रैल 2010।